माँ शाकुम्भरी विश्वविद्यालय, सहारनपुर

(पुँवारका, सहारनपुर, उ0प्र0, पिन–247120)

Website- msuniversity.ac.in Email ID – registrar@msuniversity.ac.in

पत्रांक : 01 / 02 / प्रशा0 / MSU / 2024–25 दिनांक : 01/04/2024

सेवा में,

प्रबन्धक / प्राचार्य / प्राचार्या
संस्थान / समस्त सम्बद्ध महाविद्यालय

विषय : शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिए नये महाविद्यालयों / संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों / संस्थानों में अतिरिक्त विषयों / पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति पत्र निर्गत करने के उपरान्त सम्बद्धता प्रस्ताव ऑनलाइन करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिन संस्थान / महाविद्यालयों को विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के संलग्न पत्र संख्या–196 / सत्तर–2–2024–16(11) / 2017 टी0सी0, दिनांक : 31.01.2024 एवं संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या–407 / सत्तर–2–2024–16(11) / 2017 टी0सी0, दिनांक : 23.02.2024 के अनुपालन में विश्वविद्यालय द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत किया गया है, किन्तु उन संस्थान / महाविद्यालयों द्वारा अनापत्ति पत्र निर्गत होने के उपरान्त अभी तक सम्बद्धता प्रस्ताव ऑनलाइन नहीं किया गया है। वह संस्थान / महाविद्यालय दो दिवसों में सम्बद्धता प्रस्ताव ऑनलाइन कर निरीक्षण मण्डल हेतु प्रस्ताव विश्वविद्यालय में प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा की स्थिति में संस्थान / महाविद्यालय स्वंय उत्तरदायी होंगें।

भवदीय

(वीरेन्द्र कुमार मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

01. विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–2, उत्तर प्रदेश शासन।
02. कुलपति कार्यालय को कुलपति महोदय के संज्ञानार्थ।

कुलसचिव

संख्या–५०७ /सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 **लेखनऊः दिनांकः२३ फरवरी, 2024**

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3050/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023 एवं शासनादेश संख्या–196/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक।**
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक 10 मार्च, 2024 तक।**
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 20 मार्च, 2024 तक।**
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 31 मार्च, 2024 तक।**
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक।** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में

		आवेदन किया जायेगा। (2) तद्रोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 15 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 10 मई, 2024 तक।**
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 31 मई, 2024 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 10 जून, 2024 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 25 जून, 2024 तक।**

3— शासनादेश दिनांक 15.09.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा—निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या— /सत्तर—2—2024 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय—सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या– ५०७ /सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0

प्रेषक,

प्रेम कुमार पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–2 **लखनऊः दिनांकः २३ फरवरी, 2024**

विषयः– उच्च शिक्षा के क्षेत्र में शैक्षिक सत्र 2024–25 के लिये नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों (बी0एड0 पाठ्यक्रम को छोड़कर) को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति एवं सम्बद्धता प्रस्तावों के ऑनलाइन निस्तारण हेतु समय–सारिणी।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–3050/सत्तर–2–2023–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 15.09.2023 एवं शासनादेश संख्या–196/सत्तर–2–2024–16(11)/2017टी0सी0 दिनांक 31.01.2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2– इस संबंध में सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शैक्षिक सत्र 2024–25 हेतु निर्धारित उच्च शिक्षा के क्षेत्र में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालयों/संस्थानों में स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने के लिए उक्त शासनादेश दिनांक 15.09.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से निर्धारित समय–सारिणी में निम्नवत् संशोधन किया जाता है :–

क्र0	कार्यवाही	समय–सीमा
1	विश्वविद्यालय में नये पाठ्यक्रमों हेतु अनापत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन जमा करने की अन्तिम तिथि।	----
2	विश्वविद्यालय में ऑनलाइन जमा किये गये प्रस्तावों के भूमि संबंधी अभिलेखों का राजस्व विभाग से सत्यापन कराया जाना	**दिनांक 29 फरवरी, 2024 तक।**
3	अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत किया जाना	**दिनांक 10 मार्च, 2024 तक।**
4	ऑनलाइन अनापत्ति के संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 20 मार्च, 2024 तक।**
5	शासन में अपील निस्तारित करने की अंतिम तिथि	**दिनांक 31 मार्च, 2024 तक।**
6	निरीक्षण मण्डल का गठन	**दिनांक 15 अप्रैल, 2024 तक।** (1) अनापत्ति आदेश ऑनलाइन निर्गत होने के पश्चात संस्था द्वारा दिनांक 10 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन के संबंध में

		आवेदन किया जायेगा। (2) तद्नोपरान्त विश्वविद्यालय द्वारा 15 अप्रैल तक निरीक्षण मण्डल का गठन कर लिया जायेगा।
7	निरीक्षण मण्डल द्वारा निरीक्षण आख्या का प्रस्तुत किया जाना।	**दिनांक 10 मई, 2024 तक।**
8	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता ऑनलाइन प्रदान करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 31 मई, 2024 तक।**
9	विश्वविद्यालय द्वारा सम्बद्धता के संबंध में लिये गये निर्णय के विरूद्ध शासन में अपील करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 10 जून, 2024 तक।**
10	शासन स्तर पर अपील निस्तारित करने की अन्तिम तिथि	**दिनांक 25 जून, 2024 तक।**

3– शासनादेश दिनांक 15.09.2023 एवं दिनांक 31.01.2024 के माध्यम से निर्गत शेष दिशा–निर्देश यथावत रहेंगे।

भवदीय,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

संख्या– /सत्तर–2–2024 तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. अपर मुख्य सचिव, श्री कुलाधिपति, उ0प्र0।
2. समस्त कुलपति, राज्य विश्वविद्यालय, उ0प्र0।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उ0प्र0।
4. निदेशक, सूचना विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
5. वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., योजना भवन, लखनऊ को इस आशय से कि कृपया उक्त समय–सारिणी के अनुसार तत्काल पोर्टल पर अग्रेतर कार्यवाही करने का कष्ट करें।
6. अपर सचिव, उच्च शिक्षा परिषद, इंदिरा भवन, लखनऊ को वेबसाइट पर प्रदर्शन हेतु।
7. निजी सचिव, अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री/निजी सचिव, मा0 मंत्री जी।
8. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(प्रेम कुमार पाण्डेय)
संयुक्त सचिव।

24 Draft AB 51